

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836-232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

—:आदेश:—

बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/05/2020
क्रमांक/ 3989 /एस.डब्ल्यू./2020:— चूँकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जाँच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसमें दिनांक 15.05.2020 को नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी के एक मरीज का जाँच रिपोर्ट पोजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये, इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/3201/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 05.05.2020 तथा आदेश क्रमांक/3775/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.05.2020 के माध्यम से ब्यूटी पार्लर तथा नाई/सैलून दुकानों को संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त संचालित दुकानों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(डोमन सिंह)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ.ग.)

बैकुण्ठपुर दिनांक 17/05/2020

क्रमांक/3990/एस.डब्ल्यू./2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ।
12. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ.ग.)